न्यायालय उपखण्ड अधिकारी करेडा जिला–भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी :–महीपाल सिंह, आर0ए0एस0

मुकदमा संख्या :– /

1– श्रीमति ऐजी पुत्री श्री रामा गुर्जर आयु वयरक निवासी रेह तह0 करेडा वगै0। –प्रार्थीगण।

बनाम

1– श्री गंगाराम पुत्र श्री मोड़ा गुर्जर आयु वयरक निवासी रेह तह0करेडा वगै0।

– विपक्षीगण।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा0भू0रा0अधि0 1956

:: निर्णय ::

दिनांक 19.10.2020

प्रार्थीगण की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा0 भू0 राज0 अधि01956 के तहत तुत कर निवेदन किया कि ग्राम रेह पटवार हल्का दहीमथा भू0अ0नि0 क्षेत्र बैमाली में प्रार्थीगण व विपक्षी सं. 3 लगायत की संयुक्त खातेदारी की आराजी नम्बर 1427/571 रकबा 2.00 बीघा भूमि स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के य आराजी मुतदाविया के सीमा चिन्ह नही होने से आये दिन सीमा सबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिसमें र्थीगण अपने संयुक्त खातें की भूमि की पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 07.10.2020 को पंजीबद्व किया जाकर प्रकरण को अवलोकनार्थ यह बात सिद्व है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थीगण एवं विपक्षी सं. 3 लगायत 13 के संयुक्त खाते एवं कब्जे काश्त की होने पत्थरगढी कराने के अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार की हैरा–फैरी ने का अदेंशा नही है तथा न किसी प्रकार अधिकार निर्धारित किये जाते है। अतः इन तथ्यों का देखते हुये नैसर्गिक न्यायिक सिद्वान्त के आधार पर आवेदन पत्र प्रार्थीगण स्वीकार योग्य है।

:: आदेश ::

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र धारा 111–128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम रेह पटवार का दहीमथा भू0अ0नि0 क्षेत्र बैमाली में प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण सं. 3 लगायत 13 की सुंयक्त खातेदारी आराजी नम्बर 7/571 रकबा 2.00 बीघा भूमि स्थित है। प्रार्थीगण के आवेदन पर प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण सं. 3 लगायत 13 के पक्ष भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढी किये जाने हेतु भू–अभिलेख निरीक्षक बैमाली 450/–रुपये कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर जमा करावे। मेश्नर फीस जमा होने पर प्रार्थीगण सं. 1 लगायत 06 एवं अप्रार्थीगण सं. 01 लगायत 13 को सूचना देकर पक्षकारान मौजूदगी में मौंके व कब्जे की यथास्थिति को बनायें रखते हुये मुस्तकिल बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढी की वें। पत्थरगढी के समय अप्रार्थीगण सं. 1 व 2 की सटी हुई खातेदारी भूमि को अप्रभावित रखा जावे। फसल खड़ी ने पर पत्थरगढी नही की जावे।

लंग्न :– प्रार्थना पत्र प्रति।

उपखण्ड अधिकारी
करेडा जिला भीलवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2022.09.03 15:35:26 IST
Reason: SelfAttested

तिलिपि :– तहसीलदार करेड़ा को भेजकर लेख है कि प्रार्थीगण ... नियमानुसार पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करें।

उपखण्ड अधिकारी
करेड़ा जिला भीलवाड़ा